

# य उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

मिथलस बनाम शेर

मु. सं. 118/21 (ग.ख)

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

२२

आज पत्रावली फेश हुई। वकील  
प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का वाद श्कारिज किया  
जा चुका है। इसलिये प्रार्थनपर अर्साई निषेधाज्ञा  
चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः  
प्रार्थी का प्रार्थन पर अर्साई निषेधाज्ञा भी  
श्कारिज किया जाता है। पत्रावली फेशल  
भुमार शेकल मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश हुनामा जमा

  
उपखण्ड अधिकारी  
महवा जिला दौता